

6/24

पत्रावली पेश हुई वकील प्राथीगण उपस्थित
विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त
हुए गिसे शाप पठकिये गये। विपक्षीगण अनुपस्थित
विपक्षीगण को कितनी मर्तवा क्रक-क्रक कर आवाजें
दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, उनके सिद्ध
एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया
जाता है। वकील प्राथीगण का डा-पग स्वीकार किया
जाकर लिखित प्रत्येक से लिखा जाकर शाप पठ किया
श्या। पत्रावली फँदल शुमार होकर नम्बर से कम
है।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

